

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक.....दिसम्बर, 2018

संख्या-1/सी0-01-31/2014 गृ0आ0 /भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अपर पुलिस महानिदेशक कोटि से पुलिस महानिदेशक कोटि [Pay Level-16 in the Pay Matrix (रू0 2,05,400 - 2,24,400/-)] में प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम	आवंटित बैच
1	2	3
1.	श्री दिनेश सिंह बिष्ट	1987
2.	श्री अरविन्द पाण्डेय	1988
3.	श्री संजीव कुमार सिंघल	1988

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर पदस्थापन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात्, प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(गिरीश मोहन ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-1/सी0-01-31/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक.....दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-1/सी0-01-31/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक.....दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-1/सी0-01-31/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक.....दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि :- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी महानिदेशक/सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक, प्रक्षेत्र एवं मुख्यालय/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, क्षेत्र एवं मुख्यालय/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस एवं गृह रक्षावाहिनी/आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना (website : www.home.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु)/सभी संबंधित पदाधिकारियों/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को रक्षित संचिका में संधारण हेतु, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. प्रोन्नत सभी पदाधिकारी एफ0आर0 22(1)(ए)2 के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं :-

"Under FR 22 (1) (a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post".

सरकार के अवर सचिव